

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय, महोबा में वर्चुअल रूप से जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा समस्या निस्तारण हेतु सम्बन्धित को मौके पर निर्देशित किया गया-

जनपद महोबा में पीड़ित/शिकायतकर्ता की समस्याओं के समुचित एवं समयबद्ध निस्तारण हेतु श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा द्वारा आज दिनांक 06.09.2023 को पुलिस कार्यालय, महोबा में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व थानों के दिवसाधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअली जनसुनवाई की गई।

जनता की समस्याओं के समाधान के क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को एक-एक करके गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा जनता की समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए वर्चुअल रूप से जुड़े हुए अधिकारियों को मौके पर निर्देशित किया गया।

जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित को आदेशित किया गया कि मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करें, लापरवाही की सूचना पर सम्बन्धित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की चेतावती प्रदान की गयी साथ ही शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने चोरी के वांछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी सम्पत्ति बरामद ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.09.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह नेतृत्व में गठित टीम, उ0नि0 सनय कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु.अ.सं. 413/2023 धारा 457/380/411/427 भादवि से सम्बन्धित 03 नफर वांछित अभियुक्तगण 1. वारिश उर्फ लुच्ची पुत्र शरीफ मंसूरी 2. सत्यम कुशवाहा पुत्र गजराज 3. नरसिंह राजपूत पुत्र भानप्रकाश को नियमानुसार मोहल्ला सुभाषनगर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की गयी सम्पत्ति 01 अदद LED टीवी 80 सेमी सैमसंग कंपनी व 16 अदद बड़े भगौने एल्युमिनियम के, 15 अदद हैलोजन लाइट, 03 अदद मैट बरंग नीली, 05 बोरी में टेंट के परदे बरामद किये तथा बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. वारिश उर्फ लुच्ची पुत्र शरीफ मंसूरी निवासी मिल्कीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा
2. सत्यम कुशवाहा पुत्र गजराज निवासी सुभाष नगर जेल के पीछे थाना कोतवाली नगर महोबा
3. नरसिंह राजपूत पुत्र भानप्रकाश निवासी बफरेता थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी-

01 अदद LED टीवी 80 सेमी सैमसंग कंपनी तथा 16 अदद बड़े भगौने एल्युमिनियम के, 15 अदद हैलोजन लाइट, 03 अदद मैट बरंग नीली, 05 बोरी में टेंट के परदे बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 सनय कुमार प्रभारी चौकी सुभाष थाना कोतवाली नगर महोबा
2. उ0नि0 शेर आलम खां प्रभारी चौकी मनियादेव थाना कोतवाली नगर महोबा
3. कां0 अभय कुमार पटेल 4. कां0 पंकज कुमार
5. म0आ0 राखी सिंह 6. कां0 लोकेन्द्र प्रताप सिंह 7. कां0 अंकित दुबे



थाना कोतवाली नगर महोबा की पुलिस टीम ने 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की सम्पत्ति बरामद ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.09.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा प्रभारी निरीक्षक श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह नेतृत्व में गठित टीम, उ0नि0 सनय कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु.अ.सं. 410/2023 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित 03 नफर वांछित अभियुक्तगण 1. कोमल जसवंत पेटारे पत्नी जसवंत बेनी पेटारे उम्र करीब 36 वर्ष 2. चांदनी पुत्री बाबूजी शिंडे उम्र करीब 24 वर्ष 3.राखी विक्की नाडे पत्नी विक्की नाडे के कब्जे से कुल 9,800/- रुपये (नौ हजार आठ सौ रुपये) बरामद करते हुये कीरत सागर गेट न0 02 से बिलबई तिराहा की ओर से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.कोमल जसवंत पेटारे पत्नी जसवंत बेनी पेटारे उम्र करीब 36 वर्ष निवासिनी चितोड़ा जावल लाला लालपत राय मार्ग शालेमार्ग वर्धा महाराष्ट्र
- 2.चांदनी पुत्री बाबूजी शिंडे उम्र करीब 24 वर्ष निवासी लालालाजपत राय पुल फैल वर्धा महाराष्ट्र
- 3.राखी विक्की नाडे पत्नी विक्की नाडे निवासी फुल फैल वार्ड न0 26 वर्धा महाराष्ट्र

बरामदगी-

कुल 9,800 रुपये/- (नौ हजार आठ सौ रुपये) बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 सनय कुमार चौकी सुभाष थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
- 2.उ0नि0 शेर आलम खां चौकी मनियादेव थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
- 3.म0उ0नि0 श्रीमती सुषमा चौधरी महिला थाना प्रभारी जनपद महोबा
- 4.का0 अंकित दुबे 5.का0 लोकेन्द्र प्रताप सिंह 6.म0 का0 अनामिका देवी 7.म0 का0 प्रगति सिंह



थाना चरखारी की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 07 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक जनपद महोबा के निर्देशन में जनपद में अवैध जुआ/सट्टा के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 05.09.2023 को श्री सत्यम, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा व श्री उमेश चन्द्र, क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में श्री गणेश कुमार, थानाध्यक्ष चरखारी द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में टीम द्वारा कस्बा चरखारी में ताश-पत्तों से हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 07 नफर अभियुक्तगणों को नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के कब्जे से मौके पर मालफड़ 6,300/-रुपये, 52 अदद ताश पत्ता व जामा तलाशी 970/- रुपये बरामद हुये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना चरखारी में मु.अ.सं. 175/23 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1.अमर त्रिपाठी पुत्र स्व.रामेश्वर त्रिपाठी उम्र 40 वर्ष निवासी मोहल्ला छोटा रमना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा 2.सुरेश सिंह अहिरवार पुत्र प्रकाश उम्र 22 वर्ष निवासी मोहल्ला चिन्तेपुरा कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा 3.दयाशंकर उर्फ छोटा प्रजापति पुत्र भगवती प्रजापति उम्र 23 वर्ष निवासी मो0 छोटा रमना कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा 4.राजू अहिरवार पुत्र प्रकाश उम्र 21 वर्ष निवासी मोहल्ला चिन्तेपुरा कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा 5.राजेश पाल पुत्र लखन लाल पाल उम्र 28 वर्ष निवासी मोहल्ला धनुषधारी कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा 6.अरविन्द कुशवाहा पुत्र मनमोहन उम्र 30 वर्ष निवासी मोहल्ला रायनपुर कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा 7.दिनेश कुशवाहा पुत्र स्व.रामेश्वर उम्र 25 वर्ष निवासी मोहल्ला रायनपुर कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 सत्येन्द्र सिंह
- 2.उ.नि. मधुरेश त्रिपाठी
- 3.हे0का0 संदीप कुमार
- 4.का.विवेक कुमार
- 5.का.हिमांशु कुमार
- 6.का.अनिल कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा

बरामदगी-

मालफड़ 7,270/- रुपये, 52 अदद ताश पत्ता बरामद।



थाना कबरई की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.09.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त राजाबाबू पुत्र कृपाल उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम गुगौरा थाना कबरई जनपद महोबा को सम्बन्धित मु.नं. 178/1X/2023, अ.सं. 307/15 धारा 279/338/427 भादवि में ग्राम गुगौरा थाना कबरई जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त को माननीय न्यायालय स्पेशल जूडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय बांदा के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजेन्द्र प्रकाश
2. का0 नन्दलाल सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजाबाबू पुत्र कृपाल उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम गुगौरा थाना कबरई जनपद महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में सुरक्षा व सतर्कता के दृष्टिगत न्यायालय परिसर में संदिग्ध व्यक्ति/वस्तुओं की गई सघन चेकिंग..।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर आज दिनांक 06.09.2023 को एस चेक टीम बांदा, डॉग स्कवॉयड एवं एलआईयू महोबा व न्यायालय सुरक्षा की संयुक्त टीम द्वारा सुरक्षा सतर्कता के दृष्टिगत न्यायालय परिसर महोबा में सघन चेकिंग की गई।

न्यायालय परिसर के सभी गेटों पर पुलिस बल तैनात कर हर आने-जाने वाले शख्स की जांच कराई गई। संदिग्धों की तलाशी लेते हुए उनसे आने का कारण पूछा गया। न्यायालय परिसर में एवं मैन गेट पर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ कर उनका वैरिफिकेशन कराया गया। वहीं आने जाने वाले वाहनों को बैरियर लगाकर चेक किया जा रहा था। इसके अलावा स्कैनर से बैग/वस्तुओं व अन्य सामान की चेकिंग करने के बाद ही व्यक्तियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं न्यायालय के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी चेक किया गया।



थाना कबरई की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.09.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री सत्यम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में गठित टीम के उ०नि० श्री रमाकान्त शुक्ल द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त गजराज पुत्र स्व० मथुरा प्रसाद उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम परसहा थाना कबरई जनपद महोबा को सम्बन्धित केश नं. 18/2023 धारा 128 सीआरपीसी में ग्राम परसहा थाना कबरई जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया, बाद गिरफ्तारी अभियुक्त को माननीय न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महोबा के समक्ष पेश करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० रमाकान्त शुक्ल
2. का० नरेन्द्र बाबू

गिरफ्तार अभियुक्त-गजराज पुत्र स्व० मथुरा प्रसाद उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम परसहा थाना कबरई जनपद महोबा



**श्रीकृष्णजन्माष्टमी एवं चेहल्लुम पर्व के दौरान जनपद में
शान्ति/कानून व्यवस्था के दृष्टिगत अपर जिलाधिकारी/अपर पुलिस
अधीक्षक द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत किया गया पैदल गस्त:-**

श्रीकृष्णजन्माष्टमी एवं चेहल्लुम पर्व के दौरान जनपद महोबा में सुरक्षा व्यवस्था को चौक चौबन्द बनाये रखने हेतु आज दिनांक 06.09.2023 को श्रीमती अपर्णा गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन पर श्री राम प्रकाश- अपर जिलाधिकारी, श्री सत्यम- अपर पुलिस अधीक्षक एवं श्री जितेन्द्र कुमार, उपजिलाधिकारी सदर महोबा द्वारा भारी पुलिस बल के साथ संयुक्त रूप से थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अन्तर्गत मिश्रित आबादी वाले स्थलों में पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा सम्बन्धित को साम्प्रदायिक शान्तिभंग करने की इच्छा रखने वाले उपद्रवियों, साम्प्रदायिक सवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये पर्याप्त सतर्कता बरतने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये गये।

निर्देशित किया गया कि असामाजिक/ साम्प्रदायिक तत्वों की लगातार निगरानी की जाए। मन्दिरों / मस्जिदों / महत्वपूर्ण स्थानों / कचहरी परिसर / रेलवे / बस अड्डों / बाजारों व पर्यटन स्थलों में पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगा दी जाये। इस सम्बन्ध में जनपदीय पुलिस मीडिया सेल टीम द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफार्म की विभिन्न एप्पलीकेशन की **Round The Clock** मॉनीटरिंग कर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने थानाक्षेत्र अन्तर्गत उक्त त्यौहार के दृष्टिगत विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों में पुलिस बल को ब्रीफ कर उनकी ड्यूटी लगा दें, निरंतर भ्रमणशील रहेंगे तथा असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

